

25/1/24

दिनांक 19/1/2024 व 22/1/24 को राजकीय अकादमी द्वारा
होम (अप्रायत) आर्य समाज की प्राण पर अन्तर्गत
थान पर दिनांक 19/1/24 को बंधु सुनील चूकी वकील
वादी ने निवेदन किया कि मूल वाद के निर्णय की पालना तक
अप्रायतों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावत प्रदान की
वकील अप्रायतों की अन्तर्गत वास्तविक चूंकि मूल वाद
क्रमांक 36/2023 में अन्तिम आदेश ले चुका है लेकिन आदेश
पालना की सम्मान्तराल में अप्रायतों वास्तविक जहाँ हस्तान्तरण
बेचान का नकल है अतः अप्रायतों 01 से 06 को मूल
वाद क्रमांक 36/2023 के अन्तिम निर्णय दिनांक 23/1/2024 को
पालना तक इस आदेश की अस्थायी निषेधाज्ञा से पावत की
जाता है कि वे वास्तविक भूमि का बेचान, हस्तान्तरण नहीं
करें अप्रायतों संख्या 07 व 08 तथा अन्य राजकीय विभाग
अन्य न्यायालयों के आदेश इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पूर्ण
रूप से स्वतंत्र रहेंगे तहसीलदार आदि मूल वाद के निर्णय की पालना
करवाये प्रथम पत्र पैनल शुमाद होश नम्बर के क्रमांक

राजकीय अकादमी
नारायण (राजकीय)

